

- **Name of Teacher: Dr. Ravi Agarwal**
- **Mob. No.: 9451176185**
- **Email Id: draviecontent@gmail.com**
- **Designation: Assistant Professor**
- **University: Lucknow University, UP**
- **College: Maharana Prtap Government PG College, Hardoi**
- **Stream: Commerce**
- **Faculty: Commerce**
- **Department: Commerce**
- **Subject: Money, Banking and Financial System**
- **Course Duration: 3 Years**
- **Sub Topic: Meaning of Banks and Development of Banks In India**
- **Type: PDF**
- **Search Keyword: banks, banking stages, history of Indian banks types of banks, development of banks**

Self-Declaration

The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is strictly prohibited. The users of the content shall not distribute or disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge.

बैंक का अर्थ एवं भारत में बैंकों का विकास

डा. रवि अग्रवाल

बैंक का अर्थ एवं विकास-

बैंक "BANK" एक अंग्रेजी शब्द है। बैंक शब्द का उपयोग करने का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान में भी, यह शब्द बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति से जुड़े समय और स्थान के रूप में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इस संबंध में विद्वानों में भी असंतोष है। कुछ लोगों का मानना है कि 'BANK' इतालवी शब्द 'BANCO' से लिया गया है, जिसे बाद में फ्रेंच में 'BANKE' कहा गया। दूसरी ओर कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द 'BANCK' से मानते हैं। इनके अलावा BANQUE, BANKE और BANC आदि को भी BANK शब्द के प्राचीन शब्द माना जाता है। सभी विद्वान इस अवधारणा पर सहमत हैं कि बैंकिंग की वर्तमान प्रणाली इटली में शुरू हुई थी। इटली और अन्य यूरोपीय देशों के व्यापारी प्राचीन काल में धन का आदान-प्रदान करने के लिए बेंचों पर बैठते थे। ये लोग अपने साथ विभिन्न स्थानों का धन रखते थे और अपनी सुविधा के लिए व्यापारियों के धन (मुद्राओं) को वांछित स्थान की मुद्राओं में बदल सकते थे।

ये व्यापारी एक दूसरे को पैसे उधार दिया करते थे। इस संबंध में BANK शब्द की उत्पत्ति 'BANCO' से मानी जा सकती है क्योंकि 'BANCO' का अर्थ है बेंचों के आसपास बैठना। यदि वे अपने समझौतों का उल्लंघन करते थे या अपने व्यापार में विफल होते थे तो व्यापारियों की बेंच को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, इस प्रकार 'दिवालिया' शब्द 'BANKRUPT' की उत्पत्ति हुई।

दूसरी ओर, 'BANK' का अर्थ है-संयुक्त स्टॉक कोष अर्थात- एक स्थान पर कई लोगों द्वारा जमा किए गए धन का केंद्रीकरण।

जहाँ तक आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत का संबंध है, यह हॉलैंड में 17 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वर्ष 1609 में 'बैंक ऑफ एम्स्टर्डम' की स्थापना से मानी जाती है; जर्मनी में 1619 में 'बैंक ऑफ हैम्बर्ग' और 1694 में 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' प्रारम्भ में आधुनिक बैंक के रूप में स्थापित किए गए थे। इसके पश्चात दुनिया के विभिन्न देशों में बैंक धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है, "एक बैंक एक संस्था है जो धन और साख के आदान-प्रदान का कार्य करती है।" लेकिन एक विस्तृत रूप में, हम कह सकते हैं, "एक बैंक मुद्रा में व्यवहार करने वाली एक ऐसी संस्था है, जहाँ धन जमा किया जाता है, ऋण दिया जाता है और धन के लेन-देन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही बैंक द्वारा जमा का संरक्षण और साख निर्माण का कार्य भी होता है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास- (Banking System history in India)

बैंक आज हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि इनके बिना हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। रोज आधुनिक और नई तकनीक ला रहे हमारे देश के बैंकों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। बैंकों की सामान्य परिभाषा से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल से ही मुद्रा को सहेजने वाली एजेंसियों और उन पर ब्याज देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। भारत में बैंकिंग के मूल को पुरातन महाजन परम्परा से भी जोड़ कर देखा जा सकता है जो लोगों को जरूरत के समय पैसे उधार देते थे और लोगों के धन को विदेश जाने और आने के दौरान हवाला के जरिये उन तक पहुंचाते थे और इसके बदले कुछ रकम वसूल करते थे। मिस्र और ऐसी ही दूसरी पुरातन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक लेन—देन के दौरान भी ऐसी ही संस्थाओं का जिक्र मिलता है लेकिन उनपर ज्यादा शोध और संदर्भ सामग्री उपलब्ध नहीं है। आधुनिक बैंकिंग जिसे आज हम उपयोग कर रहे हैं, इसका वर्तमान स्वरूप मूल रूप से यूरोपियन्स की ही देन है और आज भी इस प्रणाली में ज्यादातर नये प्रयोग उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं।

प्राचीन भारत में बैंकिंग प्रणाली व बैंकिंग का इतिहास (Banking system in ancient India or History)

प्राचीन भारत में जब सभ्यता अपने पूरे शिखर पर थी, यहां चारों तरफ ऐश्वर्य और पैसे का बोलबाला था। ऐसे में पैसे के प्रबंधन के लिए बैंक जैसी संस्था की जरूरत पड़ी।

वेदों में कुसीदिन नाम के पद का उल्लेख मिलता है जो उस दौर में पैसों का प्रबंधन किया करता था। इसका उल्लेख सूत्रों और जातकों तक में मिलता है।

इससे समझ में यह आता है कि धन का यह प्रबंधक 2000 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक लगभग 1600 सालों तक लोगों के बीच लेन—देन का प्रमुख स्रोत बना रहा।

इसी बीच इन्हीं स्रोतों में इस संस्था के अवसान या बुराइयों का उल्लेख भी मिलने लगा था जिससे इस बात का पता चलता है कि समय के साथ इनकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई और कालान्तर में यह समाप्त हो गए।

जातकों में सूद पर उधार देने का उल्लेख भी सामने आता है, उधार दिए जाने के लिए किए जाने वाले करार को यहां ऋण पत्र या ऋण पत्रों की तरह उल्लेखित किया गया है।

कौटिल्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी इन ऋण पत्रों का उल्लेख करते हैं, वे इसे ऋण आलेख कह कर संबोधित करते हैं।

मौर्य काल आते—आते राज्य सत्ता बैंकिंग का काम करने लगती है, इसके प्रमाण सामने आते हैं। उल्लेख मिलता है कि राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने के वादा पत्र दिया करता था।

यह प्रथा बाद में व्यापारियों ने भी अपना ली और 185 ईसा पूर्व आते—आते ऐसे वादापत्र आम प्रचलन में आ गए।

भारत में मध्यकाल के दौरान बैंकिंग का स्वरूप (Banking system in medieval India)

- मौर्य काल में जो ऋण पत्र प्रचलन में आए वे मध्यकाल में खासकर मुगल काल तक यूं ही प्रचलन में रहे और खूब उपयोग में लाए जाते रहे।
- मुगलकालीन दस्तावेजों में दो तरह के ऋणपत्रों का उल्लेख मिलता है, दस्तावेज ए इन्दुतलाब को मांग पर जारी किया जाता था जबकि दस्तावेज ए मियादी एक खास समय के बाद ही कैश किया जा सकता था, यह उस दौर के फिक्स डिपॉजिट जैसा था।
- ये दस्तावेज शाही खजाने से ही जारी किए जाते थे लेकिन इसके समानान्तर एक और व्यवस्था ने जन्म ले लिया था जिसे महाजनी भी कहा जाता था।
- इसमें एक व्यक्ति पैसों को उधार देकर मनमाना सूद वसूलता था। इसी दौर में व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के लिए पहली बार हुंडी का इस्तेमाल करना शुरू किया जो एक तरह का क्रेडिट कार्ड का प्राचीन रूप कहा जा सकता है।

भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत (Modern banking system in India)

भारत में बैंकिंग प्रणाली को दो चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है

- पूर्व-स्वतंत्रता चरण (Pre-Independence Phase)(1770-1947)
- स्वतंत्रता चरण के बाद (Post- Independence Phase) (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता अवधि के बाद को फिर से चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

- पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि (Pre-nationalisation Period)(1947 से 1969)
- राष्ट्रीयकरण अवधि(Post nationalisation Period) (1969 से 1991)

- उदारीकरण अवधि (Liberalisation Period) (1991 से 2005 तक)
- आधुनिक बैंकिंग क्षेत्र सुधार अवधि (Modern Banking Sector Reforms Period) (2006 से अब तक)
- भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत इस देश में औपनिवेशिक काल के शुरुआत के साथ ही माना जा सकता है, जब आज से लगभग 200 साल पहले डच, अंग्रेज और फ्रांसिसी व्यापार के उद्देश्य से भारत आए।

ब्रिटेन के शासन से पहले भारत में मुस्लिम शासन था। बैंकिंग कार्य ज्यादातर पैसे उधारदाताओं और व्यापारियों द्वारा मुस्लिम शासन के दौरान किया जाता था। ब्रिटिश शासन भारत में सत्रहवीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुई। इससे साहूकारों और व्यापारियों को बड़ा झटका लगा। इसके लिए जिम्मेदार मुख्य कारक यह था कि धन उधारदाताओं और व्यापारियों को अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा, उनके बैंकिंग सिस्टम अलग थे। साहूकार और व्यापारी ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते थे; इसलिए वे अपने आप को तदनुसार संशोधित करने में सक्षम नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18 वीं शताब्दी में मुंबई और कोलकाता में कुछ एजेंसी हाउसों की स्थापना की थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्थिक रूप से पोषित थे। इन एजेंसी गृहों द्वारा बैंकिंग कार्य किए गए। उनके द्वारा किए गए मुख्य कार्य इस प्रकार थे:

(i) जनता से जमा स्वीकार करना

(ii) कागजी नोट जारी करना

(iii) कृषि उपज के लिए ऋण प्रदान करना, और

(iv) ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन उधार देना।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास

पूर्व-स्वतंत्रता चरण (1720 से 1947)

भारत में प्रथम बैंक 1720 में संयुक्त स्टॉक प्रणाली पर आधारित '**बैंक ऑफ बॉम्बे**' बम्बई में स्थापित किया गया था जोकि 1770 में विफल रहा। '**बैंक ऑफ हिंदुस्तान**' ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली का भारत में पहला बैंक था, जिसकी स्थापना 1770 में '**अलेक्जेंडर एंड कंपनी**' ने तत्कालीन भारतीय राजधानी **कलकत्ता** में की थी। लेकिन यह भी बहुत सफल नहीं हो सका एवं 1832 में इसका संचालन बंद हो गया। इसके पश्चात जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार (1773-1775), बंगाल बैंक (1784-1791) एवं जनरल बैंक ऑफ इंडिया (1786-1791) कलकत्ता में स्थापित हुए किन्तु असफल रहने के कारण शीघ्र बंद हो गए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन बैंक स्थापित किए थे:-

2 जून 1806 को बैंक ऑफ़ कलकत्ता की स्थापना की गई थी और 2 जनवरी 1809 को इसका नाम बदलकर **बैंक ऑफ़ बंगाल** कर दिया गया था।

बैंक ऑफ़ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल, 1840 को और **बैंक ऑफ़ मद्रास** की स्थापना 1 जुलाई, 1843 को हुई थी।

इन तीनों बैंकों को निजी शेयरधारकों द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन सरकार के पास इनमें कुछ अंश थे। अतः, इन तीनों के पास सरकारी बैंकों का अधिकार था और उन्हें प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। लेकिन भारत सरकार ने 1862 के बाद नोट जारी करने के अपने अधिकार को वापस ले लिया। सरकारी कार्यों की बढ़ती प्रकृति के कारण, **1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया** की स्थापना हुई, जिसमें इन **तीन प्रेसिडेंसी बैंकों** को शामिल किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया ही 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना।

संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम भारत में 1860 में पारित किया गया था। इसके अनुसार, सीमित जिम्मेदारी की अवधारणा के आधार पर बैंक की स्थापना की जा सकती है। इस कानून ने भारतीय बैंकों की नींव का मार्ग प्रशस्त किया। फलस्वरूप संयुक्त पूंजी, अर्थात् के सहयोग से कई बैंक स्थापित होने लगे। 1865 में प्रथम भारतीय स्वामित्व वाले **इलाहाबाद बैंक** की स्थापना हुई। वर्ष 1881 में एलायंस बैंक ऑफ़ शिमला और अवध कमर्शियल बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ़ इंडिया। इनमें से पंजाब नेशनल बैंक वह बैंक है जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा संचालित था। इन बैंकों ने ज्यादा प्रगति नहीं दिखाई। भारत में 1900 तक बैंकिंग प्रगति की गति बहुत धीमी थी। इसके बाद कुछ प्रगति दिखाई देने लगी। बैंकों का तेजी से प्रसार 1906 के बाद भारत में होने लगा। स्वदेशी आंदोलन ने उस समय तक देश में जन्म लिया था। भारतीयों ने विदेशी बैंकों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और भारतीय उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे भारतीय बैंकों ने अपना कारोबार फैलाना शुरू कर दिया। इससे भारतीय बैंकों को एक नया जीवन मिला। इस अवधि में कई छोटे और बड़े बैंक स्थापित हुए, 1906 में बैंक ऑफ़ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, और 1913 में बैंक ऑफ़ मैसूर प्रमुख थे।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में (1913-1939) की अवधि को बैंकिंग इतिहास की सबसे खराब अवधि कहा जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की प्रारम्भिक अवस्था में प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान भारतीय बैंकों का विकास अवरुद्ध हो गया था। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारत में कई बैंक स्थापित किए गए थे लेकिन इनमें से कई बैंक कमजोर थे और बैंकिंग सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। नतीजतन, ग्राहकों ने इन बैंकों में अपना विश्वास खो दिया। धीरे-धीरे कई बैंक ध्वस्त हो गए।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक की अनुपस्थिति के कारण बैंकों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अभाव था। कई बैंकों ने अपनी भुगतान की गई पूंजी को वास्तविक आंकड़े से अधिक दिखाया और इस तरह अपने ग्राहकों को गुमराह किया। उस समय तक देश में पूंजी बाजार अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था, और परिणामस्वरूप बैंकों के बीच उचित समन्वय नहीं था। ये बैंक आर्थिक संकट के समय कहीं से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे।

लेकिन यह हालत लंबे समय तक नहीं रही। कुछ बैंक अपने काम के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम थे। धीरे-धीरे बैंकिंग माहौल में तेजी आई। टाटा इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। पुनः इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में तीन प्रेसीडेंसी बैंकों (बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास) को शामिल करके की गई थी। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद बैंकिंग कार्य में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अधिक सुधारों की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने 1925 में एक अलग केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु सिफारिशें देने के लिए "हिल्टन यंग कमीशन" का गठन किया। आयोग ने देश के केंद्रीय बैंक के रूप में **भारतीय रिजर्व बैंक** की स्थापना का सुझाव दिया। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 'गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन बिल' को जनवरी 1927 में विधायिका में प्रस्तुत किया, लेकिन यह विधेयक कुछ विसंगतियों के कारण पारित नहीं हो सका। 1929 में फिर से, केंद्रीय जांच समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। तदनुसार, 8 सितंबर, 1933 को भारतीय विधानमंडल में एक और विधेयक पेश किया गया था, जिसे 22 दिसंबर, 1933 को पारित किया गया था। फिर से, इसे 16 फरवरी, 1934 को राज्यों की परिषद द्वारा पारित किया गया था। गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिलने के बाद 16 मार्च, 1934 को पारित हुआ और इसने **1 अप्रैल, 1935** को औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू किया

स्वतंत्रता-पूर्व अवधि में विभिन्न बैंकों के असफल होने के निम्नलिखित कारण उल्लिखित किए जा सकते हैं:

1. भारतीय खाताधारकों में धोखेबाजी की मनोदशा
2. प्रभावी केंद्रीय बैंक का अभाव
3. मशीनों और प्रौद्योगिकी का अभाव
4. मानवीय त्रुटियाँ और बैंकिंग में अधिक समय लगना
5. कम सुविधाएं
6. उचित प्रबंधन तथा कौशल का अभाव

उस समय, बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहा तथा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी।

स्वतंत्रता अवधि के बाद-

पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि (Pre-nationalisation Period) (1947 से 1969)

स्वतंत्रता के बाद देश की स्थिति का भारतीय बैंकों पर बुरा असर पड़ा। विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में भी बैंकों को इन राज्यों के विभाजन के कारण शरणार्थी के रूप में भारत में शरण लेनी पड़ी। नतीजतन, कई बैंक ध्वस्त हो गए। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए

बैंकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारी के लिए एक नई योजना शुरू की। इस योजना के अनुसार, अनुसूचित बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर RBI से ऋण लेने की सुविधा दी गई थी; और शरणार्थी बैंकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई थी। भारत सरकार ने इसे मजबूत करने के लिए **1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण** किया। इस वर्ष में बैंकिंग कंपनी अधिनियम भी पारित किया गया। केवल पांच वर्षों की अवधि के दौरान 1947 से 1951 तक 242 बैंक ढह गए थे। **1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक** के रूप में पुनर्नामित किया गया, जिसने **1 जुलाई, 1955** से औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने **1959** में भारतीय स्टेट बैंक (एसोसिएट्स) अधिनियम, 1959 के माध्यम से देश के आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इन्हें भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी (सहयोगी) बना दिया। इसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शामिल थे। **बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 में 1962 में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम'** कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार कई नियमों और उप-नियमों को बैंकों में काम करने के मानदंडों में जोड़ा गया था।

1 जनवरी 1963 को, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के रूप में मिला दिया गया। इसके बाद, भारतीय स्टेट बैंक के सात (7) सहयोगियों के बैंक बने रहे।

राष्ट्रीयकरण अवधि (Post nationalisation Period) (1969 से 1991)

14 ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिनके पास जमा के रूप में 50 करोड़ रुपये से अधिक थे, 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के तहत राष्ट्रीयकृत कर दिए गए थे। इन बैंकों में शामिल हैं:

- (1) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
- (2) बैंक ऑफ इंडिया,
- (3) पंजाब नेशनल बैंक
- (4) केनरा बैंक,
- (5) यूको बैंक,
- (6) सिंडिकेट बैंक,
- (7) बैंक ऑफ बड़ौदा
- (8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
- (9) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
- (10) देना बैंक
- (11) इलाहाबाद बैंक,
- (12) इंडियन बैंक,
- (13) इंडियन ओवरसीज बैंक और
- (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहद विकसित हुई लेकिन समाज के ग्रामीण, कमजोर वर्ग और कृषि को अभी भी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण रूप से लाया नहीं जा सका था। इन मुद्दों को हल करने के लिए, 1974 में **नरसिंहम समिति** ने **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB)** की स्थापना की सिफारिश की थी। **2 अक्टूबर 1975** को, **5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

वर्ष 1980 में 6 ऐसे बैंक जिनके पास 200 करोड़ से अधिक की जमाएँ थीं, 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत कर दिए गए।

इन बैंकों में शामिल हैं:

- (1) आंध्र बैंक
- (2) पंजाब एंड सिंध बैंक,
- (3) न्यू बैंक ऑफ इंडिया,
- (4) विजया बैंक,
- (5) कॉर्पोरेशन बैंक और
- (6) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।

इस प्रकार, 1980 में, भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगियों को छोड़कर, देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। लेकिन सरकार ने 4 सितंबर, 1993 को पंजाब नेशनल बैंक के साथ **न्यू बैंक ऑफ इंडिया** का विलय कर दिया जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 19 रह गयी।

राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य

भारत में वाणिज्यिक बैंक के राष्ट्रीयकरण के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- (1) बैंकों पर विश्वास विकसित करके और प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय विकास के लिए बैंकों का उपयोग करके जनता से बचत में वृद्धि करना।
- (2) देश के प्रत्येक भाग में बैंकों की शाखाओं का प्रसार करना और अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
- (3) अटकलों और गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए बैंक ऋणों के उपयोग को नियंत्रित करना।
- (4) बैंक अधिकारियों को उचित शर्तों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (5) व्यापार और उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी देने के लिए कानूनी आवश्यकता को पूरा करना।
- (6) बैंकिंग क्षेत्र पर कुछ व्यक्तियों की स्वामित्व को समाप्त करना।
- (7) आर्थिक विकास और विकास की दर को बढ़ावा देना।
- (8) कृषि, कुटीर उद्योगों और निर्यात के लिए ऋण की व्यवस्था करना।
- (9) बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता लाना।
- (10) समाज और बैंकों के बीच की दूरी को खत्म करना।

राष्ट्रीयकरण का प्रभाव –

सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए चुने जाने के विभिन्न कारण थे। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव निम्नलिखित रहा-

1. इससे कोष में वृद्धि हुयी और देश की आर्थिक स्थिति में प्रगति हुयी है
2. राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुयी
3. देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद
4. रोजगार के नए एवं बड़े अवसरों का सृजन
5. सरकार ने जन कल्याण के लिए बैंकों द्वारा प्राप्त लाभ का प्रयोग किया
6. बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कम हुयी, और कार्य क्षमता में वृद्धि हुयी

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आलोचना-

भारत सरकार द्वारा पहले चरण में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन जनसंख्या के एक बड़े वर्ग ने इस कदम का विरोध किया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ मुख्य तर्क इस प्रकार हैं:

(1) कठोर निर्णय: आलोचकों ने माना कि 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जल्दबाजी में किया गया था। इस संबंध में लोकसभा में जो विधेयक पेश किया गया था, वह गंभीरता के साथ तैयार नहीं था; इसीलिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एक नया विधेयक पारित करना पड़ा।

(2) राजनीतिक निर्णय: यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीयकरण के समय सत्ता में थी, दो भागों में विभाजित हो गई थी। इस प्रकार, यह माना जाता है कि यह एक आर्थिक निर्णय के बजाय एक राजनीतिक निर्णय था।

(3) राजनेताओं का प्रभाव: यह माना जाता था कि राजनेताओं का प्रभाव उनके राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों पर बढ़ेगा। इसका परिणाम दिखाई देगा क्योंकि बैंकों की नीतियां सत्ताधारी दलों की नीतियों के अनुसार बदलती रहेंगी। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता।

(4) मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन: यह भी आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीयकरण मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का खर्च बढ़ जाएगा, और इसे पूरा करने के लिए, वे महंगे ऋण प्रदान करेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी।

(5) कार्यकुशलता में कमी: यह उम्मीद की जा रही थी कि शिष्टता की भावना समाप्त हो जाएगी और नौकरशाही में वृद्धि होगी। यह ग्राहक सेवा के स्तर को कम करेगा।

अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य विशिष्ट शीर्ष स्तरीय बैंक विकास वित्त संस्थान (DFI) के रूप में स्थापित किए गए थे जिनका प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों के विकास हेतु पुनर्वित्त साख सुविधाएं प्रदान करना था।

उदाहरण के लिए, आई.डी.बी.आई. (IDBI) की स्थापना 01 जुलाई 1964 को औद्योगिक साख के विकास हेतु, नाबार्ड (NABARD) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि-संबंधी कार्यों में सहायता एवं ग्रामीण विकास के लिए की गई थी। इसी तरह निर्यात और आयात में वृद्धि के लिए 01 मार्च 1982 में EXIM बैंक ने कार्य प्रारम्भ किया था।

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) की स्थापना 09 जुलाई 1988 को गृह ऋण क्षेत्र में वृद्धि के लिए की गई थी, और SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को लघु उद्योगों से संबन्धित ऋणों के लिए की गई थी।

उदारीकरण अवधि (Liberalisation Period) (1991 से 2005 तक)

राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्थिरता और लाभप्रदता प्रदान करने के लिए, सरकार ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में विभिन्न सुधारों के प्रबंधन के लिए श्री एम नरसिमहम की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। एम नरसिमहम समिति ने देश में बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं। सिफारिशों का प्रमुख जोर बैंकों को प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अनुकूल बनाना था। जिसके आधार पर सबसे बड़ा विकास भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 निजी क्षेत्र के बैंकों को स्थापना हेतु लाइसेंस दिया। इन बैंकों में शामिल हैं:

- ग्लोबल ट्रस्ट बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- ऐक्सिस बैंक
- बैंक ऑफ पंजाब
- इंडसइंड बैंक
- सेंचुरियन बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- टाइम्स बैंक
- डेव्लपमेंट क्रेडिट बैंक

इसके अलावा, 1994 में 20 से अधिक विदेशी बैंकों ने भारत में परिचालन शुरू किया। अगस्त 1996 में निजी क्षेत्र के 4 बैंकों को स्थानीय क्षेत्र बैंक (Local Area Bank) के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1998 में, नरसिमहम समिति ने फिर से अधिक निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश की सिफारिश की। जिसके आधार पर, आरबीआई ने 2001 में कोटक महिंद्रा बैंक और 2004 में यस बैंक को लाइसेंस प्रदान किया।

आधुनिक बैंकिंग क्षेत्र सुधार अवधि (Modern Banking Sector Reforms Period)

(2006 से अब तक)-

बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता, तीव्र तकनीकी परिवर्तन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निष्पादन क्षमता में सुधार को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

वर्ष 2005-2006 से बैंकिंग क्षेत्र में सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। सितंबर 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी जिसके परिणामस्वरूप इनकी संख्या मार्च 2011 को 196 से घटकर 82 रह गयी जोकि दिसम्बर 2020 में पुनः घटकर 43 रह गयी। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक में इसके सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में एवं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2009 में विलय किया गया। पुनः भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का विलय भी भारतीय स्टेट बैंक में 1 अप्रैल 2017 को कर दिया गया।

लगभग एक दशक के बाद, नये बैंकों को लाइसेंसिंग का तीसरा दौर प्रारम्भ हुआ। 2013-14 में RBI ने निजी क्षेत्र के IDFC बैंक और बंधन बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस की अनुमति दी। भारतीय जनता को वित्तीय सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से RBI ने बैंकों के दो नए प्रकार - भुगतान बैंक (Payments Bank) और लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank) शुरू करने की सितंबर 2015 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। दिसम्बर 2020 तक 5 भुगतान बैंक एवं 10 लघु वित्त बैंक संचालित थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति में सुधार हेतु 2 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ोदा में करने की स्वीकृति प्रदान की जोकि 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। विलय की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 04 मार्च 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 06 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों- आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक एवं इलाहाबाद बैंक का विलय करना स्वीकृत किया। जिसके 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होने के पश्चात भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 (भारतीय स्टेट बैंक सहित) रह गयी है।

Offices of Commercial Banks as at end of the Quarter-

Bank Group	September 2020					March 2020				
	Rural	Semi-urban	Urban	Metro-politan	Total	Rural	Semi-urban	Urban	Metro-politan	Total
SBI and its Associates	7970	7092	5291	4580	24933	7890	6551	4641	4479	23561
Nationalised Banks	21060	18224	14454	15252	68990	21077	18324	14386	15420	69207
Foreign Banks	16	8	43	268	335	15	8	42	270	335
Regional Rural Banks	15366	4823	1642	440	22271	15357	4823	1645	438	22263

Local Area Banks	13	45	22	14	94	13	45	22	14	94
Private Sector Banks	7310	11158	7670	9979	36117	7235	11023	7575	9847	35680
Small Finance Bank	840	1799	1218	919	4776	826	1701	1132	827	4486
Payments Bank	41	310	341	110	802	43	312	342	121	818
Total	52616	43459	30681	31562	158318	52456	42787	29785	31416	156444

बैंकों के प्रकार

1. केंद्रीय बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो उस विशेष देश के अन्य सभी बैंकों को नियंत्रित करता है।

केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना और देश के अन्य बैंकिंग संस्थानों का मार्गदर्शन और नियमन करना है। नीचे दिए गए कार्य देश के केंद्रीय बैंक के कार्य हैं:-

1. अन्य बैंकों का मार्गदर्शन करना
2. मुद्रा जारी करना
3. मौद्रिक नीतियों को लागू करना
4. वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना

दूसरे शब्दों में, देश के केंद्रीय बैंक को 'बैंकों का बैंक' के रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि यह देश के अन्य बैंकों को सहायता प्रदान करता है और सरकार की देखरेख में देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करता है।

2. वाणिज्यिक बैंक-

वे वाणिज्यिक आधार पर काम करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ है।

उनके पास एक एकीकृत संरचना होती है और सरकार, राज्य या किसी निजी संस्था के स्वामित्व में कार्य करते हैं।

वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

सार्वजनिक जमा इन बैंकों के लिए धन का मुख्य स्रोत है।

वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(A) अनुसूचित बैंक: (Scheduled Banks)- रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। धारा 42 (6) के अनुसार रिज़र्व बैंक इस सूची में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल करता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:-

(i) बैंक के पास पूर्ण दत्त पूंजी के रूप में कम से कम पाँच लाख रुपये हैं।

(ii) रिज़र्व बैंक को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि बैंक की कोई भी गतिविधि जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक नहीं होगी।

(B) गैर-अनुसूचित बैंक: (Non-Scheduled Banks)- वे बैंक जो अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें गैर-अनुसूचित बैंक कहा जाता है। रिज़र्व बैंक इन बैंकों को अनुसूचित बैंकों के समान सुविधाएं नहीं देता है। लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार गैर-अनुसूचित बैंक भी आरबीआई के नियंत्रण में आ गए हैं। हालांकि गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या लगातार घट रही है। इन बैंकों को RBI से अग्रिम प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में वे RBI के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बैंकों के लिए भी यह अनिवार्य है कि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार नकद रिज़र्व बनाए रखें।

वाणिज्यिक बैंकों को पुनः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - एक ऐसा बैंक जहां बहुमत अंश (51% या अधिक) का स्वामित्व सरकार या देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है।

निजी क्षेत्र के बैंक - एक बैंक, जहां बहुमत अंश निजी संगठन या एक व्यक्ति या लोगों के एक समूह के स्वामित्व में होते हैं।

विदेशी बैंक - हमारे देश में शाखाएं संचालित करने वाले ऐसे बैंक जिनका मुख्यालय व स्वामित्व विदेशों में है, विदेशी बैंक के अंतर्गत आते हैं।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)-

ये विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को रियायती ऋण एवं अन्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। आरआरबी 1975 में स्थापित किए गए थे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्थापित होते हैं। आरआरबी केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%), और एक वाणिज्यिक (प्रवर्तक) बैंक (35%) के संयुक्त उपक्रम के रूप में संचालित होते हैं। 1975 से 1993 तक 196 आरआरबी स्थापित किए गए। 2005 से सरकार ने आरआरबी के संचालन में सुधार हेतु विलय शुरू किया और इस तरह आरआरबी की संख्या अप्रैल 2020 में घटकर 43 हो गई।

4. सहकारी बैंक-

19 वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में इसकी स्थापना 1904 में इटली, इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क आदि में इसकी लोकप्रियता के बाद की गई थी। सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य किसानों और मजदूरों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये बैंक राज्य सरकार के अधिनियम के तहत संगठित हैं। वे कृषि क्षेत्र और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण देते हैं।

सहकारी बैंकों का मुख्य लक्ष्य रियायती ऋण प्रदान करके सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है ये 3 स्तरीय संरचना में व्यवस्थित हैं

1. **(राज्य स्तर)** - राज्य सहकारी बैंक (RBI, राज्य सरकार, NABARD द्वारा विनियमित)

RBI, सरकार, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व और शीर्ष प्रबंधन सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

2. **(जिला स्तर) - केंद्रीय / जिला सहकारी बैंक-** एक केंद्रीय सहकारी बैंक का अर्थ है जिले का मुख्य सहकारी बैंक।

3. **(ग्राम स्तर) - प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां-** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण सहकारी ऋण समितियाँ हैं। यह एक साथ आने वाले न्यूनतम 10 व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सदस्यों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती हैं।

5. भूमि विकास बैंक-

किसानों की लंबी और मध्यम अवधि की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। इसका पुराना नाम **भूमि बंधक बैंक** है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी संरचना अलग है। कुछ राज्यों में इसकी संरचना एक संघीय व्यवस्था के रूप में काम करती है। एकात्मक संरचना की स्थिति में भूमि विकास बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से काम करता है। भारत में भूमि विकास बैंक की शुरुआत चेन्नई में भूमि बंधक बैंक के रूप में हुई। इस राज्य ने 1929 में राज्य के प्राथमिक बैंकों का विलय करके केंद्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना की। इसके बाद अन्य राज्यों में भी ऐसे बैंक स्थापित किए गए।

6. विकास बैंक एवं पुनर्वित्त संस्थाएँ:-

विकास बैंक देश में उद्योगों, कृषि एवं सहायक क्रियाओं, विदेशी व्यापार, ग्रामीण विकास एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्र में वित्तीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर स्थापित किए जाते रहे हैं। ये बैंक व्यावसायिक बैंकों को पुनर्वित्त साख सुविधा प्रदान करते हैं व विशिष्ट क्षेत्रों की प्रगति हेतु विभिन्न वित्तीय योजनाएँ संचालित करते हैं। भारत में स्थापित प्रमुख विकास बैंक एवं पुनर्वित्त संस्थान निम्नलिखित हैं:-

(i) IFCI (Industrial Finance Corporation of India Ltd.)-01 जुलाई 1948

(ii) IDBI (Industrial Development Bank of India)- 01 जुलाई 1964

(iii) ICICI (Industrial Credit and Investment Corporation of India)- जनवरी 1955

(iv) SFC (State Finance Corporation)

(v) SIDBI (Small Industries Development Bank of India)- 02 अप्रैल 1990

(vi) State Industrial Development Corporation

(vii) EXIM Bank (Export-Import Bank of India)- 01 जनवरी 1982

(viii) NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development)-12/07/1982

(ix) National Housing Bank- जुलाई 1988

(x) India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL) - 05 जनवरी 2006

7. भुगतान बैंक (Payments Bank)

बैंकिंग के एक नए रूप, भुगतान बैंक की अवधारणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में प्रस्तुत की गई। भुगतान बैंक में खाता रखने वाले लोग केवल रु. 1,00,000/- तक की राशि जमा कर सकते हैं और इस खाते में ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

भुगतान बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के मुद्दे और डेबिट कार्ड के विकल्प किए जा सकते हैं। हमारे देश में कुछ भुगतान बैंक की सूची नीचे दी गई है:

एयरटेल पेमेंट्स बैंक

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

फिनो पेमेंट्स बैंक

Jio पेमेंट्स बैंक

पेटीएम पेमेंट्स बैंक

8. लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks)-

लघु वित्त बैंक की अवधारणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में प्रस्तुत की गई। लघु वित्त बैंक भारत में एक विशिष्ट प्रकार के व्यापारिक बैंक हैं। लघु वित्त बैंक जमा और उधार की स्वीकृति की बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकते हैं। इनकी स्थापना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के उन वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना है जहां अन्य बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी जा रही है, जैसे कि लघु व्यवसाय इकाइयां, लघु और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक (पूर्व में कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड) भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अप्रैल 2016 में जालंधर, पंजाब में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया था। बैंक को मार्च 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस मिला।